दिनांक– 10.06.2026

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। परिवादी की हाजिरीमाफी विद्वान अधिवक्ता पेश। स्वीकृत।

2. परिवादी की ओर से धारा 225 बी0एन0एस0एस0 में अन्य कोई साक्ष्य नहीं देने का पृष्ठांकन किया गया है। तत्पश्चात परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश भोजनावकाश उपरान्त पेश हो।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
देहरादून।

भोजनावकाश उपरान्त

परिवादी का कथन है कि विपक्षी ने परिवादी को विधिक देनदारी के एवज में आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, शाखा– हाथीबड़कला, देहरादून का चैक संख्या–096349, दिनांकित 20.01.2026 मु0 2,00,000/– रूपये का दिया। परिवादी द्वारा उक्त चैक भुगतान हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो बैंक के द्वारा उक्त चैक बिना भुगतान किये **'Funds Insufficient"** की टिप्पणी के साथ दिनांक 16.02.2026 को अनादृत कर वापस कर दिया गया। परिवादी ने दिनांक 02.03.2026 को विपक्षी को एक विधिक नोटिस दिया और भुगतान की मांग की। उक्त नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी विपक्षी ने चैक की धनराशि अदा नहीं की। अतः विपक्षी को समन कर विचारण की प्रार्थना की।

3. परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में धारा 223 बी0एन0एस0एस0 के तहत स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अनादृत चैक की मूल प्रति, बैंक मैमो, विधिक नोटिस की प्रति, डाक रसीद, ट्रेक रिपोर्ट, आदि दस्तावेज के रूप में दाखिल किये गये है।

4. परिवाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर **"Funds Insufficient"** की टिप्पणी के साथ दिनांक 16.02.2026 को बिना भुगतान वापस हो गया, जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 02.03.2026 को अभियुक्त को नोटिस दिया और नोटिस की प्राप्ति के बावजूद भी अभियुक्त ने परिवादी की चैक के तहत देय रकम का भुगतान नहीं किया। परिवादी द्वारा परिवाद परिसीमा अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है। परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से होता है। अतः

परिवादी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के शपथ पत्र तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से इस स्तर पर विपक्षी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के विचारण हेतु समन किए जाने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। फलस्वरूप विपक्षी को निम्नलिखित आदेश से अभियुक्त के रूप मे समन किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त शुभम पुण्डीर को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के विचारण हेतु समन किया जाता है। अभियुक्त को डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड समन जारी हो। परिवादी आवश्यक पैरवी एवं सूची गवाहान एक सप्ताह के भीतर दाखिल करे तथा सम्बन्धित कार्यालय लिपिक वाद धारा– 227 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अनुपालन सुनिश्चित हो जाने के बाद आदेशिका जारी करें। पत्रावली वास्ते अभियुक्त की हाजिरी दिनांक 20.07.2026 को पेश हो।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
देहरादून।